



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 971]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 2018/फाल्गुन 19, 1939

No. 971]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 2018/PHALGUNA 19, 1939

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

**का.आ. 1089(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर तहसील बड़ा मलहरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 (पूर्व NH-86) के कि.मी 105.204 से कि.मी 110 में बड़ा मलहरा बाईपास निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

## अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 (पूर्व NH-86) के कि.मी 105.204 से कि.मी 110 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब डिविशनल मजिस्ट्रेट रेवेनुए	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH86 के कि.मी. 105.204 से 110 तक	मध्य प्रदेश	छतरपुर	बड़ा मलहरा	1 मौली 2 बड़ा मलेहरा 3 टोंगरा 4 कामोदपुरा

[फा. सं. सीई-आरओ बीपीएल/30010/17/2017-18]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2018

**SO 1089(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Bada malhera bypass on NH-34 (old NH-86) sagar chhatarpur road from km. 105.204 to km 110 of tehsil bada malhera in chhatarpur district in the State of MADHYA PRADESH.

**SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. 34 (old NH-86) from km. 105.204 to km 110 in the State of MADHYA PRADESH

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-divisional magistrate revenue	105.204KM To 110KM	MADHYA PRADESH	CHHATA RPUR	Bada Malehra	1. Mouli 2. Bada Malehra 3. Tongra 4. Kamodpura

[F. No. CE-RO BPL/30010/17/2017-18]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.